रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2017/पौष 27, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 318
No. 19] DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2017/PAUSA 27, 1938 [N.C.T.D. No. 318

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जनवरी, 2017

फा. सं. आर. 303/टी.ओ. (एस.)/टी. सी. फेलिंग/2016-17/3940.48.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती हैं,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आई.टी.पी.ओ. द्वारा डिफेंस पवेलियन प्रगति मैदान, नई दिल्ली के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.10 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट0)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	आई.टी.पी.ओ. द्वारा डिफेंस पवेलियन का निर्माण, प्रगति मैदान, नई दिल्ली 110001.	1.10 (लगभग)	99	990
		कुल योग	99	990

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है।

(क) आवेदक का सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 56,43,000/–रूपये (छप्पन लाख तैतालीस हजार रूपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	990	रू– 56,43,000 / –	उप–वन संरक्षक (दक्षिणी) / वन अधिकारी

(ख) 990 पेड़ों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा तथा उनका सात वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा जिसका अनुच्छेद आई. टी. पी. ओ. द्वारा 550 पेड़ों का आई. टी. पी. ओ. कैंपस, प्रगति मद्यान में और` शेष 440 पेड़ों का गाज़ीपुर आई. टी. पी. ओ. भूमि पर जोकि आई. टी. पी. ओ. द्वारा प्रदान की गयी है कि भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद जाच्च की जाएगी।

(ग) उपभोगी सच्चथा द्वारा 990 पेड़ों का उद्यान प्रभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सहयोग से 1. प्रगति मद्यान में 550 पेड़ों का तथा 2. 440 पेड़ों का गाजीपुर में आई. टी. पी.ओ. भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा तथा उनका सात वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(घ) 99 पेड़ों के काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी की नीलामी भूमि स्वामित्व सच्चथा द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को उप वन सच्चक्षक ;दक्षिणी के खाते में जमा की जाएगी।

(ड) उप–वन संरक्षक के परामर्श से जलाऊ लकड़ी वाले वृक्षों की प्रजातियों की जलाऊ लकड़ी (यदि है) को काटे जाने के पश्चात प्राप्त जलाऊ लकड़ी आई. टी. पी. ओ. द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए, यदि उचित हो।

(च) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकडियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (दक्षिणी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चंद्राकर भारती, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 16th January, 2017

F. No. R.303/TO(S)/TC.Felling/16-17/3940-48.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 1.10 ha. (approx) as detailed below for construction of Defence Pavilion at Pragati Maiden, New Delhi by India Trade Promotion Organization, from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Sl. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be Removed	Compensatory plantation required (No. of trees)
1	Construction of Defence Pavilion at Pragati Maiden, New Delhi.	1.10 (approx)	99	990
		Total	99	990

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 56,43,000 /- (Rupees Fifty Six Lacs Forty Three Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 7 (Seven) years as follows:

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
I	990	56,43,000/-	DCF (South)/ Tree Officer

b) The compensatory plantation of 990 will be raised and maintained for 7 (Seven) years i.e. a break-up of 550 and 440 no. of trees for compensatory plantation will be done by India Trade Promotion Organization at the land given by ITPO at campus of ITPO, Pragati Maidan and at the land of ITPO in Gazipur respectively and monitor it till its successful establishment.

c) The 990 Nos of compensatory plantation (100%) will be planted by User Agency through Horticulture Division of CPWD at (1) Pragati Maidan itself (550 Nos) and (2) ITPO land at Ghazipur (440 Nos) and maintained for 7 years.

d) The timber obtained from felling of 99 trees shall be auctioned by the land owning agency and the proceeds as revenue shall be deposited in the account of DCF (South).

e) The firewood (if any) obtained on removal of firewood species of trees shall be handed over by the India Trade Promotion Organization to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF, if applicable.

f) Before shifting of wood if any, from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (South)

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

CHANDRAKAR BHARTI, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.25 15:36:30 +05'30'